Ram Sewak Singh Mahila College

Sitamarhi- 843301

A CONSTITUENT UNIT OF B.R.A.B.U., MUZAFFARPUR

Estd.- 1967 Website: https://rssmahilacollege.org | Email id: rssmahilacollege1968@gmail.com

SHORT TERM TENDER INVITATION NOTICE

Sealed quotations are invited from Registered Contractors/Service Providers who are willing to undertake the assignment of "Construction of Janki Chhatrawas" in the College, as per the detailed specification which can be ascertained from the College Office during working hours.

Interested and eligible firms are requested to submit their sealed quotations to the undersigned within 07 days from the date of Notice.

The undersigned reserves all the rights to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof

Principal
R.S.S. Mahila College Dumra, Sitamarhi

प्रपत्र नं.
[विनियम –33(2) देखें.]
वसूली अधिकारी कार्यालय–I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

चुक नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 29 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/107/2009 **30-07-2026**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
एवीएन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

सेवा में,

(सीडी 1) एवीएन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, एवीएन कॉम्प्लेक्स, ई 21, असल विला, छतरपुर रोड, सीएसकेएम स्कूल के पास, सतबारी, नई दिल्ली – 110074

उपरोक्त मामले की सुनवाई **29/07/2026** को **दिल्ली ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी 2)** के वसूली अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन आपकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. आपको निर्देश दिया जाता है कि मामले की आगे की कार्यवाही के लिए **27/10/2026** को **सुबह 10:30 बजे दिल्ली ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी 2)** के वसूली अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।

3. ध्यान दें कि चूक की स्थिति में, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 30/07/2026 को दिया गया।

हस्ता/–
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

प्रपत्र नं. 16
[विनियम –33(3) देखें.]
वसूली अधिकारी कार्यालय–I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

TRC/1402/2022 **20-08-2026**

आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 48 के अंतर्गत, वसूली देयताएँ एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित, अचल संपत्ति की कुर्की का वारंट।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मैसर्स खाटू श्याम ट्रेडिंग कंपनी

सेवा में,

(सीडी1) मैसर्स खाटू श्याम ट्रेडिंग कंपनी, अपने प्रस्ताव के माध्यम से – सुरेश कुमार जिंदल पुत्र स्वर्गीय भजन लाल,

(सीडी2) सुरेश कुमार जिंदल पुत्र स्वर्गीय भजन लाल दोनों सीडी यहां हैं: निवासी ए–4, शिवपुरी, मेन रोड, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051

इसके अलावा: ए–2, शिवपुरी, मेन रोड, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051 **इसके अलावा:** 41–ए, राधे पुरी एक्सटेंशन – I, कृष्णा नगर, दिल्ली – 110051 **इसके अलावा:** 15–ए, इंद्रपुरी, धरोती खुर्द हुडबस्त, ग्राम–परगना–लोनी, गाजियाबाद, यूपी–201102

जबकि (सी.डी.) **38776186.04 (तीन करोड़ सत्तासी लाख छिहत्तर हजार एक सौ छियासी रुपये और चार पैसे मात्र)** रुपये की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, साथ ही मुकदमे के दौरान और भविष्य में **@ 13%** की दर से ब्याज, **14/07/2016** से वसूली तक और रुपये 150000.00 की लागत, जो कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा तैयार किए गए प्रमाण पत्र संख्या आरसी/**1402/2022** के संबंध में आपके द्वारा देय है।

जबकि (सी.डी.) को पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा, जिसने दिनांक // को ओए/**480/2016** में वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था, प्रमाणपत्र धारक बैंक/एफ.आई. को रुपये **38776186.04 (तीन करोड़ सत्तासी लाख छिहत्तर हजार एक सौ छियासी रुपये और चार पैसे मात्र)** मुकदमे के दौरान और भविष्य में **@ 13%** की दर से ब्याज सहित, **14/07/2016** से वसूली तक, तथा रुपये 150000.00 का खर्च अदा करने का आदेश दिया गया था, तथा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

2. यह आदेश दिया जाता है कि आप, जैसा कि उल्लेखित प्रमाण पत्र देनदार हैं, अधोहस्ताक्षरी के अगले आदेश तक उक्त संपत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित या गिरवी रखने से निषिद्ध और प्रतिबंधित हैं, और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या गिरवी से कोई लाभ लेने से निषिद्ध किया जाता है।

3. आपको बिक्री की घोषणा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए तय की जाने वाली तिथि की जानकारी लेने हेतु **22/10/2026** को सुबह 10:30 बजे वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के समक्ष उपस्थित होना होगा।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति ब्यौरा	ब्यौरा
सम्पत्ती के प्रकार	संपत्ति का विवरण
अचल संपत्ती	संपत्ति क्रमांक 88/2, चंदू पार्क, ग्राम खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली 110051

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत, दिनांक 20/08/2026 को दिया गया।

हस्ता/–
रविंद्र कुमार तोमर
वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–I)

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई- 600015 तमिलनाडु, भारत,
शाखा कार्यालय : ऑफिस नंबर 311 और 312, आईटीएल नॉर्थ्स टॉवर, ए-9 बिल्डिंग, एलएसपी, पीतमपुरा-110034

संपर्क विवरण: जेडसीएम : श्री पवन कुमार यादव – 9711992427, आरएलएम : श्री प्रमोद चंद- 9990338759, आरसीएम : श्री सुशांत तलवार – 8882667796, ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

नियम 8(8) और 9(1) के परंतुक के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

अधोहस्ताक्षरी, एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित गिरवी संपत्ति निजी समझौते/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से एचएचएफएल द्वारा स्वीकार्य शर्तों पर, **"जैसा है, जहां है', "जैसा है, जो है"** और **"जो कुछ भी उपलब्ध है"** के आधार पर, अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध है।

मानक नियम एवं शर्तें : 1. बिक्री पूरी तरह से **"जैसा है, जहां है', "जैसा है, जो है"** और **"जो कुछ भी उपलब्ध है"** के आधार पर आयोजित की जाएगी। **2.** क्रेता को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। स्वीकृति मिलने पर यह राशि आवश्यक 25% जमा राशि में समायोजित कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। **3.** एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, क्रेता को अगले कार्य दिवस तक विक्रय मूल्य का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) जमा करना होगा। **4.** विक्रय मूल्य का शेष 75% बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। **5.** निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान न करने पर, प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के पुनः बेचा जा सकता है। **6.** यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो प्रारंभिक 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। **7.** रु.50,00,000 से अधिक की बोलियों के लिए, सफल क्रेता को आयकर अधिनियम की धारा 194–आइए के तहत 1% टीडीएस जमा करना होगा। **8.** संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जाती है, चाहे वे एचएचएफएल को ज्ञात हों या अज्ञात। एचएचएफएल किसी भी तृतीय पक्ष के दावों, अधिकारों या वैधानिक देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **9.** क्रेता को संपत्ति के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से उचित जांच–पड़ताल करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। **10.** एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **11.** नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **www.bankeauctions.com** के माध्यम से या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से **"ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड"** से ही होगी। **12.** बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या के लिए सुरक्षित ऋणदाता/सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा। **13.** ई–नीलामी के बारे में किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68,तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 में स्थित है (संपर्क व्यक्ति श्री मिथलेश, मोबाइल नंबर 7080804466 ईमेल: **Mithalesh.kumar@c1india.com** ईमेल: **tn@c1india.com**, **Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com** और सहायता (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर +91–7291981124/25/26, सहायता ईमेल **Support@bankeauction. com**) से संपर्क कर सकते हैं। **14.** ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को **https://www.bankeauctions.com** पर समय से पहले अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होते ही उसे तुरंत बदल दें। **15.** ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को वापसीयोग्य बयाना राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करना होगा। यह राशि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा **"हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड"** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी। **16.** इच्छुक पक्ष विवरण के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और 05.10.2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले प्रस्ताव, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। **17.** सफल नीलामी क्रेता को गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्चों का वहन करना होगा। **18.** नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत उधारकर्ताओं/गिरवीदारों का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। **19.** बिक्री सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

अनुसूची

सम्पत्ति (सुरक्षित एसेट) का विवरण: प्लॉट नं.180 (क्षेत्रफल 43.33 वर्ग गज, खसरा नंबर 335 का हिस्सा) पर बनी पहली मंज़िल (बिना छत के अधिकार के); यह सम्पत्ति गांव बिंदापुर, (कॉलोनी जिसे टी–एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059) में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व–10 फीट चौड़ी गली, पश्चिम–20 फीट चौड़ा रास्ता/सड़क, उत्तर– अन्य, दक्षिण– अन्य।

बकाया राशि: 27/02/2025 तक रु. 21,93,081/– (इकईस लाख तिरानवे हज़ार इक्यासी रुपये मात्र)
आरक्षित मूल्य : रु. 9,00,000/– (नौ लाख रुपये मात्र)
ईएमडी: रु.90,000/– (नब्बे हज़ार रुपये मात्र)
ऋण सं.: (ऋण सं.: **DL/NGL/MEBH/A000000694**)
उधारकर्ता के नाम: 1. श्री शुकुल कुमार, 2. श्रीमती सुमन
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 05.10.2026, शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तिथि/समय: 06.10.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशि: रु.10,000/–

दिनांक: 20.09.2026 स्थान: दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी- कते हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

SOUTH INDIAN Bank

शाखा का पता: जी–4 से जी–10,जीएफ, सेक्टर–08
सचदेवा टावर्स,कम्युनिटी सेंटर, रोहिणी, दिल्ली–110085
शाखा मेल आईडी: br0303@sib.bank.in

सोने के संपार्श्विक की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने कई अनुस्मारकों के बावजूद निर्धारित समय–सीमा के भीतर ऋण चुकाने और गिरवी रखे गए सोने के आभूषण, गहने और सिक्के/सुरक्षा को छुड़ाने में विफल रहे हैं। नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ताओं द्वारा उक्त ऋण खाते के अंतर्गत गिरवी रखे गए सोने के आभूषण, गहने और सिक्के / सुरक्षा को हमारी शाखा परिसर में 22–09–2026 को दोपहर 03:00 बजे सार्वजनिक नीलामी में सख्ती से ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो कुछ है उसी आधार'' और ''बिना किसी सहारा आधार'' पर बेचा जाएगा।

ऋण खाते का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	बकाया राशि	सकल वजन ग्राम में
1	00303653000000322	संदीप कुमार	205439.05/-	26.94

नियम और शर्तें:

1) बैंक बिना कोई भी कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

2) बैंक बिना कोई कारण बताए निर्धारित नीलामी को बदलने/संशोधित करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3) सोने की प्रतिभूति की नीलामी के बाद किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए सुबिन सैम वर्गीज, शाखा प्रमुख से 9037854303/7777040106 पर संपर्क कर सकते हैं।

हस्ताक्षर/–अधिकृत अधिकारी
द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट–15, 6ठवाँ तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, इसके बाद उल्लेखित खाते के समक्ष दर्ज तिथि को एक मांग सूचना जारी कर ऋणधारक तथा संपत्ति के स्वामी / जमानतदार को उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का आह्वान किया था। चूंकि संपत्ति के स्वामी तथा अन्य व्यक्ति राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित ऋणधारकों तथा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखित तिथियों पर उक्त नियमावली के नियम 8 तथा 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से ऋणधारक तथा सामान्य जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति / संपत्तियों का कोई लेन–देन न करें तथा संपत्ति / संपत्तियों का कोई भी लेन–देन नीचे उल्लेखित राशि तथा उस पर देय ब्याज, प्रभारों आदि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारक / जमानतदार (संपत्ति के स्वामी) का नाम तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित / बंधक संपत्ति का विवरण (संपत्ति का संपूर्ण भाग तथा खंड जिसमें शामिल है)	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि के अनुसार देय राशि	कब्जा की तिथि
श्री / श्रीमती पुरी बाई तथा श्याम सिंह, निवास स्थान : 34 हनुमान मंदिर के पास, हत्यागौड़, जिला झालावाड़ – 326512, राजस्थान **ऋण खाता सं.: HL12SVLONS000005119370/ AP-10280056 शाखा कार्यालय : भवानी मंडी – 1**	खसरा सं. 166, पट्टा सं. 80420 का संपूर्ण भाग तथा खंड, ग्राम–हत्या गौड़, ग्राम पंचायत–गुराड़िया कलां, थाना–भवानी मंडी, जिला–झालावाड़, राजस्थान 326512 झालावाड़। संपत्ति :– पूर्व : नारायण सिंह का मकान, पश्चिम : नारायण सिंह / भेरू सिंह का मकान, उत्तर : मान सिंह बाड़ा, दक्षिण : आम रास्ता।	**मांग सूचना 10–अक्टूबर–2026** रु. 5,47,332/– (रुपये पांच लाख सैंतालीस हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा अन्य प्रभारों व व्यय के साथ 10–अक्टूबर–2026 के अनुसार देय।	**15–09–2026**

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया श्री गौरव शर्मा (9251735408) से संपर्क करें

तिथि : 20–09–2026, स्थान : राजस्थान **(प्राधिकृत अधिकारी) कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र.
सीआईएन नंबर: U65922MH2005PLC272501

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और उसके नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक से कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से तथा आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.सं.	उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता के नाम और लैन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि और प्रकार
1	श्री/श्रीमती सोहिल (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती रेशमा. (सह–उधारकर्ता), श्री/श्रीमती. समीर (सह–उधारकर्ता), श्रीश्रीमती. शोएव (सह–उधारकर्ता) **LP0000000133480**	26–जून–26 रु.871785/– 16–जून–26 को	अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल जो स्थित है, 178.37 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली भूमि पर संपत्ति मोहल्ला गोरापाड़ा कस्बा– फतेहपुर सीकरी तहसील किरावली और जिला आगरा 283110 में स्थित है, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर– गैंडा का मकान दक्षिण– नबाब का मकान पूर्व– उस्मान का मकान पश्चिम– रास्ता निकास 10 फीट	16–09–2026 को प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया
2	श्री/श्रीमती अजाद (उधारकर्ता), श्रीश्रीमती. नीतू (सह–उधारकर्ता), श्री/श्रीमती शीतल (सह–उधारकर्ता), श्री/श्रीमती प्रताप सिंह (सह–उधारकर्ता **MLP000000257665**	26–जून–26 रु.564849/– 16–जून–26 को	अचल संपत्ति का वह समस्त भाग और पार्सल जो स्थित है, भूमि क्षेत्रफल माप 42.21 वर्ग गज अर्थात 35.29 वर्ग मीटर का आवासीय मकान, मौजा खतैना, लोहामंडी वार्ड, तहसील जिला आगरा उत्तर प्रदेश 282002 में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर– नारायण सिंह का मकान दक्षिण – मकान का शेष भाग पूर्व– 6 फीट चौड़ा रास्ता निकास पश्चिम– किशोरी लाल का मकान	16–09–2026 को प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया
3	श्री/श्रीमती. साबिर (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती. नजराना. (सह–उधारकर्ता), श्री/श्रीमती. आदिल. (सह–उधारकर्ता) **LP0000000128270**	26–जून–26 रु. 586667/– 16–जून–26 को	अचल संपत्ति का वह समस्त भाग और पार्सल जो स्थित है, 239.70 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली भूमि पर स्थित संपत्ति, मौजा– बाग केला, कस्बा किरावली तहसील किरावली और जिला आगरा पिन 283122 में स्थित सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर– सैयदो का प्लॉट दक्षिण– रामवती का खुला प्लॉट पूर्व– रास्ता 10 फीट पश्चिम– फूल सिंह छाहर का मकान	16–09–2026 को प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया
4	श्री/श्रीमती. देवी सिंह (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती. मधु देवी (सह–उधारकर्ता), श्री/श्रीमती. टोकी (गारंटर) **MLP000000223828**	26–जून–26 रु. 702573/– 16–जून–26 को	अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल स्थित, 100 वर्ग गज अर्थात 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली रिक्त भूमि का प्लॉट, खसरा नं. 331, स्थित गरही बजरा, मौजा चिरहौली, तहसील एतमादपुर जिला आगरा उत्तर प्रदेश, पिन 283201 सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर– विक्रेता की भूमि दक्षिण– 8 फीट चौड़ा रास्ता पूर्व– विक्रेता की भूमि पश्चिम– देशराज सिंह का मकान	15–09–2026 को प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया
5	श्री/श्रीमती. राजवीर (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती. अंजू .(सह–उधारकर्ता), श्री/श्रीमती. संतोष कुमार शर्मा (गारंटर) **MHL000000220352**	26–जून–26 रु. 557151/– 16–जून–26 को	अचल संपत्ति का वह समस्त भाग जो स्थित है, प्लॉट नं. 14 का आवासीय भाग क्षेत्रफल 62.5 वर्ग गज अर्थात 52.25 वर्ग मीटर, खसरा नं. 343, स्थित बांके कृष्ण धाम कॉलोनी, नगला बसुआ, तहसील जिला आगरा उत्तर प्रदेश, 203105 सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर– प्लॉट नं. 14 का भाग दक्षिण– अन्य की भूमि पूर्व– प्रवीण त्रिवेदी की भूमि पश्चिम– रास्ता निकास 18 फीट चौड़ा	17–09–2026 को प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया

दिनांक : 20.09.2026 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान: आगरा **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजी. कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122 002

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (इसमें आगे "नियमावली" कही गयी है) के नियम 9(1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (इसमें आगे प्रत्याभूत लेनदार कही गई है) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा प्रतिभूत लेनदार, पंजीकृत कार्यालय पता : इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लॉट – 15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 सीआईएन : U65922HR1998PL042782 फोन नंबर +91–124–4131800 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह–कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे वर्णित तिथि को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित स्थान पर की जाएगी।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती विमला पत्नी रवि नायक, श्री/श्रीमती रवि नायक पुत्र गोपू राम नायक निवासी–जैतराण चौकी नायकों की ढाणी, मेड़ता सिटी, तहसील–मेड़ता सिटी, नागौर राजस्थान–341510 खाता संख्या MLMRSVLONS000005162104 / AP-10375696 शाखा : मेड़ता सिटी–1	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** प्लॉट नंबर– 02 पर एक आवासीय संपत्ति, खसरा नंबर–2113/ 1931, कृष्णा नगर, ग्राम–फलोदी (मेड़ता रोड), तहसील–मेड़ता सिटी, जिला–नागौर, राजस्थान 341511 सीमाएं:– पूर्व विनायक नगर के प्लॉट, पश्चिम निकल और रास्ता 30 फीट चौड़ा, उत्तर प्लॉट नंबर–03, दक्षिण प्लॉट नंबर–01	**मांग सूचना तिथि : 11–जून–2026 तथा** रु. 7,87,548/– (रुपए सात लाख सत्तासी हजार पाँच सौ अड़तालीस मात्र) 10–जून–2026 तक बकाया, साथ ही 11–जून–2026 से भुगतान की तिथि तक ब्याज, अन्य प्रभार एवं लागत	15–09–2026
श्री/श्रीमती ललिता पत्नी छोटू राम, श्री/श्रीमती छोटू राम पुत्र मन्ना राम, मकान नंबर 109, मंदिर के पास कुम्हारो और कुमावतो ग्राम रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान 305814 (ऋण खाता सं. LAP200006411/AP-0471559) शाखा : किशनगढ़–1	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** ग्राम पंचायत रूपनगढ़ पंचायत स्मति किशनगढ़ तहसील रूपनगढ़ और जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित पट्टा संख्या 22 की एक आवासीय संपत्ति ; परिमाप 142.5 वर्ग गज, सीमा:– पूर्व – सड़क, पश्चिम – श्री प्रहलाद का मकान, उत्तर सड़क, दक्षिण – श्री हनुमान का मकान	**मांग सूचना तिथि : 13–अप्रैल–2026** रु. 3,46,707/– (रुपये तीन लाख छियालीस हजार सात सौ सात मात्र) दिनांक 10 अप्रैल 2026 तक बकाया, साथ ही 11 अप्रैल 2026 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	16–09–2026
श्री/श्रीमती कु सुमन रावत पत्नी धारा सिंह, श्री/श्रीमती धारा सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, श्री/श्रीमती अयाचुकी पत्नी लक्ष्मण सिंह खसरा नंबर 2964, प्लॉट नंबर 07,08, ग्राम–बडलिया, जीपी–बडलिया, तहसील–अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान 305025 खाता संख्या – LA30SVLONS000005169088/ AP-10389873 शाखा : अजमेर–1	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** आवासीय संपत्ति प्लॉट संख्या 02, खसरा नंबर 2113/1931, कृष्ण नगर, ग्राम फलौदी (मेड़ता रोड), तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान 341511 सीमाएँ:– पूर्व– विनायक नगर के प्लॉट, पश्चिम निकाल एवं रास्ता, उत्तर –प्लॉट नंबर 03, दक्षिण प्लॉट नंबर 01	**मांग सूचना तिथि : 11–जून–2026 तथा** रु. 11,24,146/– (रुपए ग्यारह लाख चौबीस हजार एक सौ छियालीस मात्र) 10–जून–2026 तक बकाया, साथ ही 11–जून–2026 से भुगतान की तिथि तक ब्याज, अन्य प्रभार एवं लागत	17–09–2026
श्री/श्रीमती संज्ञा देवी पत्नी देवकरण, श्री/श्रीमती मोहन लाल फागना पुत्र देवकरण गुर्जर, श्री/श्रीमती देवकरण गुर्जर पुत्र नानू राम गुर्जरो का मौहल्ला लाडेरा ग्राम लाडेरा, जयपुर राजस्थान 303008 खाता संख्या– HLDUAHLONS000005080900/ AP-10195663 शाखा : दूदू–1	**संपत्ति के सभी अंश एवं खंड :** पट्टा नंबर 67 पर एक आवासीय संपत्ति, बही नंबर 135, गाँव लडेरा, ग्राम पंचायत सिरोही कलां, पंचायत समिति दूदू, जयपुर राजस्थान 303008; माप/क्षेत्रफल 283.99 वर्ग गज । सीमाएँ:– पूर्व काना राम का मकान और र